न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0– 184 सन् 2018

अखिलेश प्रसाद .....वादी

बनाम

रूदल राय व अन्य.....प्रतिवादीगण।

दिनांकः– 27.07.2021

वादी की ओर से हाजरी हैं। प्रतिवादीगण अनुपस्थित है। आज अभिलेख वादी की ओर से अधिवक्ता आयुक्त नियुक्ि करने हेतु दाखिल आवेदन दिनांक 10.03.2021 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि प्रस्तुत वाद की तकरारी एराजी सिडियुल नं0 2 वादपत्र की भूमि को वर्तमान स्थिति न्यायालय के समक्ष आना आवश्यक है। तकरारी एराजी की भूमि कौन–कौन सी संरचना है तथा कौन सी भाग खाली है का कुल विवरण मांगना न्यायहित में आवश्यक है। अतः निवेदन है कि किसी अधिवक्ता आयुक्त को नियुक्त कर आवेदन में लिखित बिन्दुओं पर प्रतिवेदन की मांग की जाए।

प्रतिवादी सं0 1, 8 एवं 13 की ओर से दिनांक 16.06.2021 को प्रतिउत्तर दाखिल किा गया जिसमें उनका कथन है कि विधि और तथ्य के दृष्टिकोण से पोषणीय नहीं है। विधि का यह मान्य सिद्धांत है कि अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति साक्ष्य एकत्रित करने हेतु नहीं की जाती है। वादीगण उपर्युक्त आवेदन के माध्यम से साक्ष्य को एकत्रित करना चाहते हैं। अतः निवेदन है कि वादी के ओर से अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त करने हेतु दाखिल आवेदन दिनांक 10.03.2021 को खारिज किया जाए।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित है कि वादीगण की ओर से प्रस्तुत हकियत वाद दाखिल कर

अनुतोष की मांग की गई है कि तकरारी एराजी सिडियुल नं0 1 वादपत्र जिसे नजरी नक्शा में क, ख, ग, घ, च, छ से दिखाया गया है जो सिडियुल नं0 1 का अंश है। वह उनकी हकियती दखली जमीन है और उन्हें बेदखल करना प्रतिवादीगण की गैर कानूनी नाजायज कार्य है। साथ ही वादीगण का दखल कब्जा प्रतिवादी का स्ट्रकचर हटवाकर दिलवा दिया जाए। वादीगण की ओर से दिनांक 10.03.2021 को आदेश 39 नियम 1 एवं 2 सी0पी0सी0 के अंतर्गत आवेदन दाखिल कर कथन हैकि वादीगण के कुल एराजी के अंश 14 कठा से दिनांक 25.12.2014 को बेदखल कर दिया गया जिसका विवरण वादपत्र के सिडियुल नं0 1 वो नजरी नक्शा में क, ख, ग, घ, च, छ से दिखाया गया है। तकरारी एराजी 14 कठा के अतिरिक्त जो शेष एराजी 22 कठा 15 धूर जो वादीगण के दखल कब्जे में है उसका भी प्रतिवादीगण दखल कब्जा करने पर अमादा है तथा इस हेतु नाजायज हरकत कर रहे हैं तथा निर्माण कार्य की भी तैयारी कर रहे हैं। वादी की ओर से प्रस्तुत वाद विवादित एराजी के दखल कब्जे की प्राप्ति हेतु दाखिल किया गया है। एसी परिस्थति में वादीगण को अपने हकियत साबित किया जाना आवश्यक है। वादीगण की ओर से दाखिल अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त करने हेतु दाखिल किया गया आवेदन से स्पष्ट नहीं होता है कि प्रतिवादीगण विवादित एराजी में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य करने हेतु कोई सामग्रो एकत्र किए है। ऐसी परिस्थिति में वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन पोषणीय नहीं है। अतः वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन को खारिज किया जाता है।

इंतनाई आवेदन दिनांक 10.03.2021 पर सुनवाई हेतु दिनांक 03.08.2021 को नियत की जाती है।

सब जज

सोनपुर सारण।